संचिका सं0 10/विविध-16-06/2012 1429 (10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अत्यावश्यक

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्राचार्य/अधीक्षक,
राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
दन्त एवं देशी चिकित्सा सहित
निदेशक, इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना
प्राचार्य विकलांग भवन बिहार, पटना
राज्य कुष्ठ/यक्ष्मा/मलेरिया/फाईलेरिया नियंत्रण पदाधिकारी,
निदेशक यक्ष्मा नियंत्रण पटना/दरभंगा
सभी सी0 एस0/ए0सी0एम0ओ0 बिहार
प्रभारी औषधि प्रयोगशाला अगमकुआँ, पटना
प्रभारी राज्य लोक स्वास्थ्य संस्थान पटना
प्राचार्य फार्मेशी कॉलेज, पटना
सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी,
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
(विभागीय मुख्यालय लेखाः— स्वास्थ्य परिवार कल्याण,
देशी चिकित्सा एवं औषधि नियंत्रक)

पटना, दिनांक– 16-01-13

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2002–03 से 2011–12 तक की अवधि के सार विपत्रों का समायोजन एवं अव्यवहृत राशि को कोषागार में जमा करने के संबंध में ।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–252(10), दिनांक–25.05.2011, पत्रांक–604(10), दिनांक–10.07.2012, पत्रांक–884(10), दिनांक–24.08.2012 एवं ज्ञापांक–1175(10), दिनांक–25.10.2012 एवं पत्रांक–1296(10), दिनांक–29.11.2012**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त सदर्भित पत्रों का निदेश करते हुए कहना है कि विषयांकित अवधि के सार विपत्रों का समायोजन अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो सका है । परिणामतः दिनांक 11.01.2013 को मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर सम्पन्न बैठक में इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया है । मुख्य सचिव महोदय द्वारा उक्त बैठक में निर्देशित किया गया है कि सार विपत्रों का समायोजन प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित की जाय और Ongoing Scheme की मार्च'13 तक उपयोग होने वाली राशि को छोड़कर शेष अद्यतन अव्यवहृत राशि संबंधित कोषागार में एक सप्ताह के अंदर जमा करा दी जाय तथा चालान की प्रति विभाग को उपलब्ध कराई जाय । अगले वर्ष उक्त स्कीम की राशि आवश्यकतानुसार योजना मद से उपलब्ध करायी जायेगी ।

पृष्ठ 2

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सार विपत्रों का समायोजन प्राथमिकता पर करना सुनिश्चित करें और मुख्य सचिव के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में Ongoing Scheme हेतु मार्च 2013 तक उपयोग होने वाली राशि को छोड़कर शेष अव्यवहृत राशि को अविलंब संबंधित कोषागार में जमा करवाकर चालान के साथ विहित प्रपत्र के साथ महालेखाकार कार्यालय में डी0 सी0 विपत्र जमा किया जाय ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन,

(व्यास जी)
सरकार के प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 1429 (10) पटना, दिनांक 16-01-13

प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव, बिहार/प्रधान सचिव वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक 1429 (10) पटना, दिनांक 16-01-13

प्रतिलिपिः--संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा-1,7,10 एवं 16 तथा आंतरिक अंकेक्षक पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।